

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

स.क./शि.क./ए/संवि./१६२/२००९/३१६

शुभपाल, दिनांक २२/३/०९

:: आदेश ::

भ०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-२ में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-५ तथा तालिका के कालम-६ में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एन अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जापक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिला का जापक क्रमांक
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई. डी. क्रमांक	संस्था / जिला का आई.स. कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
१	२	३	४	५	६	७
१	श्रीमती प्रार्थी रत्नावत अध्यापक शास.बा.मा.वि. कयामपुर जिला मन्दासौर	BO5634	23190801801	जिला पंचायत मन्दासौर जिला मन्दासौर जा.क्र. ६५३ दि. १२.२.०८	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. ८६९८ दि. १७.०७.०९ शा.उन्नत मा.वि. दाबली	२३२६०४ ०२०१

संविलियन की शर्तें -


- यह अनुमति तालिका के कालम-६ में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-६ में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-६ में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
- तालिका के कालम-६ में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-५ में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से



अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मितान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन प्रभावशील होगा ।


6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने पर संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की रिश्ता में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कानून विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में निरूपित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विधाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह बात लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


22/11/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22/11/09

पृ./क्र०/शिक्ष./ए/संवि./16-7/2009/37
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पारसपुर/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


22/11/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/श.क./ए/सवि./16/2009/ २२५

भोपाल, दिनांक २३/०७/०९.

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-२ में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-५ तथा तालिका के कालम-६ में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जात्रक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
१	२	३	४	५	६	७
१	श्रीमती सरोज तिवारी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कोनीकलां जिला जबलपुर	AB7120	23390525 301	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र. 539 दि. 02.07.09	जनपद पंचायत तेंदूखेडा जिला दमोह जा.क्र. 856 दि. 30.09.08 शा.प्रा.शा. बमौरी (पांजी)/ मरगुवा	23120507601
२	श्रीमती विनीता जाटव सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. सहराना डेहरवारा जिला शिवपुरी	BK1937	23060212 01	जनपद पंचायत कोलारस जिला शिवपुरी जा.क्र. 2087 दि. 07.07.09	जनपद पंचायत डबरा जिला ग्वालियर जा.क्र. 1597 दि. 02.07.09 शा.प्रा.वि. हरीपुर शा.प्रा.वि. सयुदन	23040101701
३	श्रीमती सुकमा सोलंकी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. गीदगढ जिला रायसेन	AT6628	23340500 01	जनपद पंचायत गांची जिला रायसेन जा.क्र. 1077 दि. 24.06.09	जनपद पंचायत ग्वालियर जिला विदिशा जा.क्र. 1074 दि. 26.06.09 शा.प्रा.वि. धामनौद	23310202701
४	श्री अय्युब खान सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.प्रा.वि. विरगोदानाथू जिला उज्जैन	BD8330	232103070 31	जनपद पंचायत बड़नगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1170 दि. 16.06.09	जनपद पंचायत कल्लौद जिला देवास जा.क्र. 1120 दि. 06.07.09 शा.प्रा.वि. टिपरास	23230503201
५	श्रीमती मनोरमा जैन सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. अलौनी जिला डिण्डौरी	AJ9283	234108049 31	जनपद पंचायत अमरपुर जिला डिण्डौरी जा.क्र. 209 दि. 05.02.09	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र. 949 दि. 04.06.09 शा.प्रा.शा. बरोदा	23390406502
६	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.प्रा.शा. मेनसी जिला सागर	AY3903	231105145 1	जनपद पंचायत थुरई जिला सागर जा.क्र. 1096 दि. 12.06.09	जनपद पंचायत टीकमगढ जिला टीकमगढ जा.क्र. 944 दि. 12.06.09 शा.प्रा.शा. स्याग शा.प्रा.शा. बडमाडई/रिंगौरा	23080606301

me

7	श्री राधाकान्त शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. भगवतपुर जिला सिंगरौली	EB9118	23500101005	जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली जा.क्र. 239 दि. 12.06.09	जनपद पंचायत सिंहावल जिला सीधी जा.क्र. 967 दि. 23.06.09 शा.क.पू.मा.वि. अमिलिया	23170701203
8	श्री शिवकुमार मिश्र सहायक अध्यापक शा.क.मा.वि. अमिलिया जिला सीधी	BC5049	23170701203	जनपद पंचायत सिंहावल जिला सीधी जा.क्र. 967 दि. 23.06.09	जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली जा.क्र. 239 दि. 12.06.09 शा.प्रा.शा. भगवतपुर	23500101005
6	श्रीमती नीता रुईके अध्यापक शा.उ.मा.वि. कालरी जिला उमरिया	BE7600	23150777703	नगर पालिका परिषद उमरिया जिला उमरिया जा.क्र. 7 दि. 19.06.09	नगर पालिका परिषद होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 1424 दि. 04.07.09 शा.उ.मा.क.वि. होशंगाबाद	23370377702
10	श्रीमती सुशीला यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. छाता जिला राहडोल	BH8610	23101202601	जनपद पंचायत सोहागपुर जिला राहडोल जा.क्र. 1747 दि. 25.06.09	नगर पंचायत चंदिया जिला उमरिया जा.क्र. 454 दि. 01.07.09 शा.प्रा.शा. बेसहनी	23150714401
11	श्रीमती किरण पटेल अध्यापक शा.ग.मा.शा. नगतरी जिला होशंगाबाद	AL8350	23370508302	जिला पंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 5273 दि. 30.06.09	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 2653 दि. 06.07.09 शा.हाईस्कूल सराकिया	23340421304
12	श्रीमती सीमा बाजौरिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. दयालपुरा जिला श्योपुर	BA6103	23010917201	जनपद पंचायत श्योपुर जिला श्योपुर जा.क्र. 343 दि. 20.05.09	नगर पंचायत बानमोर जिला मुरैना जा.क्र. 567 दि. 06.07.09 शा.प्रा.वि. गंगाराम का-पुरा बानमोर	23020320411
13	सुश्री सीना गेहलोत सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. उचवांनेचा जिला रतलाम	BI8759	23200518501	जनपद पंचायत रतलाम जिला रतलाम जा.क्र. 1154 दि. 30.05.09	जनपद पंचायत भानपुरा जिला मंदसौर जा.क्र. 780 दि. 26.06.09 शा.प्रा.वि. गोविन्द खेडा	23190108201

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पर की तुल्यता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ



अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।

7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधिधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

M
23/7/09

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23/07/09

पृ./क्र०/शि.क./ए/संवि./16/2009/ 396
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित फलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचना तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

M
23/7/09

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./18/2009/33


भोपाल, दिनांक 24.7.09

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 व अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सीमा निगम अध्यापक शा.हाईस्कूल बन्नोघा जिला उमरिया	BP4949	23151004/05	जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क्र. 859 दि. 20.05.09	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 6363 दि. 08.07.09 शा.उ.भा.वि. बंजारी	23170666608
2	श्रीमती शशिकला उके सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. उमारिया जिला नरसिंहपुर	AR9759	0318301	जनपद पंचायत गोटेगांव जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 367 दि. 11.07.09	जनपद पंचायत किरनापुर जिला बालाघाट जा.क्र. 751 दि. 10.07.09 शा.न.क.प्रा.शा. सिवनीकलां	0213302
3	श्रीमती शगुप्ता निजामी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. जैतपुरी जिला जबलपुर	BJ7993	23390411/01	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र. 1035 दि. 25.06.09	जनपद पंचायत किरनापुर जिला बालाघाट जा.क्र. 658 दि. 30.06.09 शा.प्रा.शा. जराही	23450218601
4	श्रीमती रमकांती तोमर सहायक अध्यापक शा.बा.उ.मा.वि. डही जिला धार	AJ3701	23250302/02	जनपद पंचायत डही जिला धार जा.क्र. 1241 दि. 07.07.09	नगर पालिका परिषद पोरसा जिला मुरैना जा.क्र.1643 दि. 13.07.09 शा.क.प्रा.वि. पोरसा	23020107907
5	श्रीमती सुषमा शर्मा, अध्यापक शा.मा.शा. मढवाई सांची जिला रायसेन	AU1749	23340577/01	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 2697 दि. 07.07.09	नगरपालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 2016 दि.27.06.09 शा.क.हाईस्कूल चौपडा	23310466607
6	श्रीमती छाया चौधरी अध्यापक जनपद शिक्षा केन्द्र जिला रीवा	AS3257	2314070E S02	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 836 दि. 12.06.09	जिला पंचायत टीकमगढ जिला टीकमगढ जा.क्र. 1898 दि.05.06.09 शा.न.मा.शा. नूतन विहार	23080617202
7	श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अध्यापक शा.पूर्व मा.वि. बहेरा जिला सतना	AV3081	23130307/03	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 250 दि. 08.07.09	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 1474 दि.02.07.09 शा.पू.मा.वि. दुआरी	23140127101

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


24/7/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ 3 अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्य-रत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथ विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



23/7/09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24.7.09

पृ./क्र0/शि.क./ए/संवि./25/2009/335-
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


23/7/09

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./25/2009/334

भोणल, दिनांक 24.7.09

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

सं.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती गायत्री देवी मेहर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. खतौली जिला गुना	AU3837	23300219802	जनपद पंचायत चाचौडा जिला गुना जा.क्र. 968 दि. 13.07.09	जनपद पंचायत ब्यावरा जिला राजगढ़ जा.क्र. 1023 दि. 10.07.09 शा.प्रा.वि. नापानेरा शा.प्रा.वि. बरखेडा	23070406001
2	श्रीमती मीनू त्रिपाठी अध्यापक (विज्ञान) शा.पू.मा.वि. ताला जिला सीधी	BC2327	23170377748	जिला-पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 6383 दि. 08.07.09	नगर पालिक निगम सिंगरौली जिला सिंगरौली जा.क्र. 1557 दि. 10.07.09 शा.हाईस्कूल विध्यनगर (रिक्त पद होने पर आदेश प्रभावशील)	23500866601

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि व तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।

Handwritten signature